न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 218/2018

अनवान :

1. साहबराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. देवीलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पुत्री देवीलाल पत्नी नरेश जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा हाल कुम्हारिया तहसील चोपटा जिला सिरसा हरियाणा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल :**प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 20.12.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा चक 3 एम.एस.आर के खाता संख्या 32/31 के मु.न. 20 के किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 25 सम्पूर्ण, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता, कुल किता 13 की 3.2890 हैक्टर बारानी 3.1890 गैर मुमकीन रास्ता 0.1000 हैक्टर, मु.न. 21 के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला 23 में 0.038 हैक्टर गै.मु. रास्ता कुल किता 3 की 0.7590 हैक्टर, बारानी 0.6710 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.088 हैक्टर, मु.न. 32 के किला नं. 1 सम्पूर्ण, किला नं. 2 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 8 ता 13 सम्पूर्ण, 18 ता 23 सम्पूर्ण, कुल किता 15 की 3.7950 हैक्टर, बारानी 3.7690 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.0260 हैक्टर, मु.न. 33 किला नं. 2 ता 8 सम्पूर्ण, 13 ता 18 सम्पूर्ण 23 ता 25 सम्पूर्ण, कुल किता 16 की 4.0480 हैक्टर बारानी। खाते का कुल योग कुल किता 47 की 11.8910 हैक्टर, बारानी 11.6770 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.2140 हैक्टर मुश्तर्का खाता की खातेदारी काश्तकारी हुआ करती थी। जिसमें वादी के दादा श्री गुगन वल्द चन्दु की 9.361 हैक्टर खातेदारी भूमि थी। सत्य प्रति जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 संलग्न अर्जीदावा है।

वादीगण के दादा की इस वर्ष मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु के बाद वादी के दादा गुगन के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी नं. 1 व उसके भाई बहनों के नाम कर्ता खानदान होने के कारण पैमुद हो गई। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के नाम 4.680 हैक्टर

उपखण्डाधिकारी (राज.)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 2 का अपने पिता प्रतिवादी नं. 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी नं. 2 की शादी अच्छे घर में की हुई है। वहां पर उसकी चल अचल सम्पति है। इसलिए उसने वादभूमि में अपना हक व हिस्सा मिन वादी के पक्ष में शादी के बाद तर्क कर दिया है और वादभूमि अकेला वादी ही काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम से संयुक्त परिवार की आय से खरीद शुदा चक 9 डी.पी.एन. में खाता संख्या 27/27 के मु.न. 4 के किला नं. 21, 22, मु.न. 13 के किला नं. 2 कुल किता 3 की 0.7590 हैक्टर नहरी व चक 9 डी.पी.एन. के ही खाता संख्या 28/ यही बिनाय दावा है।8 के मु.न. 13 के किला नं. 13, 17 ता 19, 22 ता 24 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसे प्रतिवादी नं. 1 ही काश्त करता है।

प्रतिवादी नं. 1 के नाम से वादभूमि दर्ज होने के कारण वादी की हक तलफी होती है और वह बिना किसी जायज जरूरत के वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवाने कार कानूनी अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी चक 3 एम.एस.आर. के खाता नं. 32/31 में देवीलाल वल्द गुगनराम के नाम 4.680 हैक्टर खातेदारी आराजी का वादी खातेदार है और बाद घोषणा यह आराजी वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे और चक 9 डी. पी.एन. की कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम ही दर्ज रखी जावे।

वादी ने प्रतिवादी को बमुकाम भरवाना में दिनांक 15.11.2018 को वादभूमि उसके नाम दर्ज करवाने का कहा तो वह ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में साहबराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 3 एम.एस.आर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 32/31 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 9 डी.पी.एन. खाता संख्या 28/28 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 9 डी.पी.एन खाता संख्या 27/27 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भरवान द्वारा जारी जो प्रदर्श 4, एवं पिता द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री की प्रतिलिपि भी प्रदर्शित करवायी गयी।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही नोजा

उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

चक 3 एम.एस.आर. के खाता नं. 32/31 में देवीलाल वल्द गुगनराम के नाम 4.680 हैक्टर खातेदारी आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 एम.एस.आर के खाता संख्या 32/31 के मु.न. 20 के किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 25 सम्पूर्ण, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता, कुल किता 13 की 3.2890 हैक्टर बारानी 3.1890 गैर मुमकीन रास्ता 0.1000 हैक्टर, मु.न. 21 के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला 23 में 0.038 हैक्टर गै.मु. रास्ता कुल किता 3 की 0.7590 हैक्टर, बारानी 0.6710 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.088 हैक्टर, मु.न. 32 के किला नं. 1 सम्पूर्ण, किला नं. 2 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 8 ता 13 सम्पूर्ण, 18 ता 23 सम्पूर्ण, कुल किता 15 की 3.7950 हैक्टर, बारानी 3.7690 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.0260 हैक्टर, मु.न. 33 किला नं. 2 ता 8 सम्पूर्ण, 13 ता 18 सम्पूर्ण 23 ता 25 सम्पूर्ण, कुल किता 16 की 4.0480 हैक्टर बारानी। खाते का कुल योग कुल किता 47 की 11.8910 हैक्टर, बारानी 11.6770 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.2140 हैक्टर मुश्तर्का खाता की खातेदारी काश्तकारी में देवीलाल पुत्र गुगनराम के नाम दर्ज 4.680 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी नं. 1 देवीलाल का नाम कलमजन कर उक्त 4.680 हैक्टर भूमि का वादी साहबराम पुत्र देवीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 218/2018

अनवान :

1. साहबराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पुत्री देवीलाल पत्नी नरेश जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा हाल कुम्हारिया तहसील चोपटा जिला सिरसा हरियाणा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 एम.एस.आर के खाता संख्या 32/31 के मु.न. 20 के किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 25 सम्पूर्ण, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता, कुल किता 13 की 3.2890 हैक्टर बारानी 3.1890 गैर मुमकीन रास्ता 0.1000 हैक्टर, मु.न. 21 के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला 23 में 0.038 हैक्टर गै.मु. रास्ता कुल किता 3 की 0.7590 हैक्टर, बारानी 0.6710 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.088 हैक्टर, मु.न. 32 के किला नं. 1 सम्पूर्ण, किला नं. 2 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 सम्पूर्ण, गैर मुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 8 ता 13 सम्पूर्ण, 18 ता 23 सम्पूर्ण, कुल किता 15 की 3.7950 हैक्टर, बारानी 3.7690 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.0260 हैक्टर, मु.न. 33 किला नं. 2 ता 8 सम्पूर्ण, 13 ता 18 सम्पूर्ण 23 ता 25 सम्पूर्ण, कुल किता 16 की 4.0480 हैक्टर बारानी। खाते का कुल योग कुल किता 47 की 11.8910 हैक्टर, बारानी 11.6770 हैक्टर, गैर मुमकीन रास्ता 0.2140 हैक्टर मुश्तर्का खाता की खातेदारी काश्तकारी में देवीलाल पुत्र गुगनराम के नाम दर्ज 4.680 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी नं. 1 देवीलाल का नाम कलमजन कर उक्त 4.680 हैक्टर भूमि का वादी साहबराम पुत्र देवीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.12.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) भादरा,जिला हनुमानगढ़